वाणिज्य अ.ज.–658

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ. (मुख्यालय.) / अधी.अ.(वा.) / अ.अ.–II / 2016–17 / प्रे 5204 दि: 17-3-17

आदेश

विषयः– अंकेक्षण दल द्वारा उपभोक्ता से वसूली हेतु निर्धारित राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़ने के संदर्भ में।

1. प्रायः यह देखा गया है कि अंकेक्षण दल तथा विभिन्न अन्य शाखाओं द्वारा किसी विद्युत कनेक्शन पर निर्धारित की गई राशि के सम्बन्ध में उपभोक्ता को सूचना दिये बिना ही राशि को उसके विद्युत बिल में जोड़कर भेज दिया जाता है।
2. विद्युत आपूर्ति की शर्ते व प्रबन्धन–2004 के क्लॉज संख्या – 49 के प्रावधानों के अनुसार किसी उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाली राशि के सम्बन्ध में निगम द्वारा उपभोक्ता को नोटिस देकर वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण सूचिंत करना आवश्यक है एवं उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जावें। तत्पश्चात् ही अंकेक्षण दल या अन्य शाखाओं द्वारा निर्धारित राशि को बिल में जोड़कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।
3. इस विषय में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में बकाया राशि जोड़ने से पूर्व अंकेक्षण दल, परिधारण व संधारण शाखा, मीटर शाखा एवं सर्तकता शाखा इत्यादि द्वारा निर्धारित वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण सम्बन्धित उपभोक्ता को नियमानुसार 15 दिवस के नोटिस द्वारा सूचित करना सुनिश्चित करें एवं नोटिस अवधि में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की सुनवाई के बाद ही विद्युत बिलों में राशि को जोड़ा जावें।

आज्ञा से

17/3/17

(एन. एल. सालवी)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

अविविनिलि, अजमेर